

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10012022-232517
SG-DL-E-10012022-232517असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 10, 2022/पौष 20, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 370
No. 21]	DELHI, MONDAY, JANUARY 10, 2022/PAUSHA 20, 1943	[N. C. T. D. No. 370

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जनवरी, 2022

सं. फा. 14(76)/एलए-२०२१/ as Law/12-21.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक ०५ जनवरी, २०२२ को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

दिल्ली विनियोग (संख्या ०१) अधिनियम, २०२२

(२०२२ का दिल्ली अधिनियम ०३)

(०४ जनवरी, २०२२ को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[०७ जनवरी, २०२२]

वर्ष 2021-2022 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2022 है।

रु.2612,85,55,000/- का वर्ष 2021-2022 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

विनियोजन

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए दो हजार छह सौ बारह करोड़ पच्चासी लाख पचपन हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2021-2022 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।"

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(रु. हजार में)
निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	याग
I	II		III	IV	V
1	विधान मंडल	राजस्व	100	0	100
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	4350850	1600	4352450
		पूँजी	480000	0	480000
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	3268620	758210	4026830
		पूँजी	80000	0	80000
4	वित्त	राजस्व	105581	60	105641
		पूँजी	30000	0	30000
5	गृह	राजस्व	975000	0	975000
		पूँजी	200	0	200
6	शिक्षा	राजस्व	8300	0	8300
		पूँजी	2676515	0	2676515
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	2884900	100	2885000
		पूँजी	600	0	600
8	समाज कल्याण	राजस्व	7650	0	7650
		पूँजी	100	0	100
9	उद्योग	राजस्व	1086385	0	1086385
10	विकास	राजस्व	9405089	0	9405089
		पूँजी	200	0	200
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	1000	3900	4900
		पूँजी	2200	1395	3595
	योग		25363290	765265	26128555

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधी, न्याय एवं विधार्थी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 7th January, 2022

F. 14(76)/LA-2021/as law/12-21.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 5th January, 2022 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI APPROPRIATION (NO.1) ACT, 2022**(DELHI ACT 3 OF 2022)**(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 4th January, 2022)[07th January, 2022]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2021-2022.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2022.

Issue of Rs.2612,85,55,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2021-2022.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees two thousand six hundred twelve crore eighty five lakh fifty five thousand only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2021-2022 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year."

SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(Rs. In thousand)

SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	II		III	IV	V
1	Legislative Assembly	Revenue	100	0	100
2	General Administration	Revenue	4350850	1600	4352450
		Capital	480000	0	480000
3	Administration of Justice	Revenue	3268620	758210	4026830
		Capital	80000	0	80000
4	Finance	Revenue	105581	60	105641
		Capital	30000	0	30000
5	Home	Revenue	975000	0	975000
		Capital	200	0	200
6	Education	Revenue	8300	0	8300

		Capital	2676515	0	2676515
7	Medical and Public Health	Revenue	2884900	100	2885000
		Capital	600	0	600
8	Social Welfare	Revenue	7650	0	7650
		Capital	100	0	100
9	Industries	Revenue	1086385	0	1086385
10	Development	Revenue	9405089	0	9405089
		Capital	200	0	200
11	Urban Development and Public Works	Revenue	1000	3900	4900
		Capital	2200	1395	3595
	Total		25363290	765265	26128555

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secy. (Law, Justice & LA)